



अपर समाहर्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0आर0 वाद सं0-26/2011-12

मनी मंडल, पिता-स्व0 विसू मंडल, एवं अन्य ग्राम-खीरधाना, अंचल- सरैयाहाट,
जिला-दुमका -बनाम्-ललित मंडल, पिता-स्व0 बलदेव मंडल एवं अन्य ग्राम-खीरधाना,
अंचल- सरैयाहाट, जिला-दुमका

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत आर0एम0आर0 वाद सं0-26/2011-12 मनी मंडल, पिता-स्व0 विसू मंडल, एवं अन्य ग्राम-खीरधाना, अंचल-सरैयाहाट, जिला-दुमका के द्वारा ललित मंडल, पिता-स्व0 बलदेव मंडल एवं अन्य ग्राम-खीरधाना, अंचल- सरैयाहाट, जिला-दुमका के विरुद्ध एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0ई0 केस नं0-289/66-67 में पारित आदेश दिनांक-10.11.1966 के विरुद्ध रिविजन वाद दायर किया गया है। संबंधित मामला जमीन बदलेन से संबंधित है।</p> <p>अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों एवं विद्वान् अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि वर्णित मामलों में उक्त भूमि से संबंधित वाद श्री पी0 के0 महता, कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय से टी0 आर0 वाद सं0-190/08, दिनांक-25.09.2010 को लोक अदालत के द्वारा समझौता के आधार समाप्त हो चुका है।</p> <p>अतएव वाद की कार्रवाई चलाने का कोई अचित्य नहीं है अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> अपर समाहर्ता, दुमका</p> <p style="text-align: center;"> अपर समाहर्ता, दुमका।</p>	